सरदार पटेल के राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता का विचार

Manish Kumar
Ph.D. Research Scholar, Department of Hindi, University of Delhi
Priyanka Dixit
Ph.D. Research Scholar, Department of History and Indian Culture, Banasthali Vidyapith, Rajasthan

सारांश: आधुनिक भारत के बौद्धिक और राजनीतिक इतिहास में सरदार वल्लभभाई पटेल के राजनीतिक विचारों का अहम स्थान है। हालाँकि, पटेल को भारत के राजनीतिक एकीकरण के सूत्रधार के तौर पर व्यापक रूप से सराहा जाता है। लेकिन 'राष्ट्रीय एकता' की अवधारणा को आकार देने में उनके योगदान पर अभी भी बहुत कम चर्चा हुई है। यह लेख राष्ट्रीय एकता, राज्य के गठन और राष्ट्र-निर्माण के नजरिये से पटेल के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करता है। इसमें यह तर्क दिया गया है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता को केवल भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं मानते थे, बल्कि इसे लोकतांत्रिक शासन, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए एक जरूरी शर्त भी मानते थे। इस शोध-आलेख का लक्ष्य यह दिखाना है कि सरदार पटेल की सोच में राजनीतिक यथार्थवाद, प्रशासनिक-व्यावहारिकता और सांस्कृतिक-विविधता का मेल किस प्रकार है। रियासतों को एकीकृत करने, संघीय संस्थाओं को मजबूत करने और एक कुशल सिविल सेवा संस्थान स्थापित करने की उनकी कोशिशें एक ऐसे राष्ट्र-राज्य के निर्माण के प्रति उनकी व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जो एकजुट होने के साथ-साथ विविधतापूर्ण भी हो। इसके अलावा, यह शोध-आलेख भारत में संघवाद, राष्ट्रीय-एकता और शासन-व्यवस्था से जुड़ी मौजूदा बहसों में पटेल के विचारों की प्रासंगिकता का भी मूल्यांकन करता है।

बीज शब्द : राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक विचार, राष्ट्र-निर्माण, संघवाद, राष्ट्रवाद

परिचय : 1947 में आज़ादी मिलना भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अहम मोड़ था। लेकिन, इसने नए राज्य के सामने बड़ी चुनौतियाँ भी खड़ी कर दीं। ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, बहुत ज्यादा आबादी बेघर हुई, और प्रशासनिक व्यवस्था में काफी अड़चने आईं, जबकि 560 से ज्यादा रियासतों का संवैधानिक दर्जा पक्का नहीं था (चंद्रा, 2008; गुहा, 2007)। इन हालातों ने अभी-अभी स्वतंत्र हुए देश की एकता और राजनीतिक स्थिरता के लिए बड़े खतरे पैदा कर दिया

था। इस अहम हालात में, सरदार वल्लभभाई पटेल (1875 1950) भारतीय राज्य के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक बनकर उभरे। भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह-मंत्री के तौर पर, पटेल ने रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने और देश की क्षेत्रीय और राजनीतिक एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई (मेनन, 1956)।

लेकिन, आधुनिक भारत में सरदार पटेल का योगदान उनकी प्रशासनिक उपलब्धियों से कहीं अधिक है। उनकी राजनीतिक विचारों में राष्ट्रीय एकता की एक खास सोच झलकती थी, जो राजनीतिक व्यावहारिकता, संस्थागत- मजबूती और राष्ट्र-निर्माण के प्रति दृढ़ संकल्प पर आधारित थी। राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक या जातीय व्याख्याओं के विपरीत, जो आम भाषा, धर्म या जातीयता पर जोर देती हैं, पटेल ने उसको एक राजनीतिक और संवैधानिक परियोजना के रूप में देखा, जिसके लिए प्रभावी शासन, मजबूत प्रशासनिक ढांचा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति निष्ठा की आवश्यकता थी (ऑस्टिन, 1966)। इनके लिए आजाद भारत का अस्तित्व और विकास एक ऐसे मजबूत और एकजुट राज्य के निर्माण पर निर्भर थी, जो राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखते हुए विविधता को भी समाहित कर सके।

देश की एकता के बारे में पटेल की समझ औपनिवेशिक शासन के ऐतिहासिक अनुभवों, आजादी की लड़ाई और आजादी के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से विकसित हुआ था। वे क्षेत्रीय-अखंडता, संवैधानिक-शासन और प्रशासनिक दक्षता को एक राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी आधार मानते थे। केंद्रीय सरकार को मजबूत करने एवं संघ की अखंडता बनाए रखने की उनकी कोशिशों में राज्य-निर्माण की एक व्यापक दृष्टि दिखती थी। इसके पीछे का उद्देश्य विविधता और राजनीतिक एकता के बीच सामंजस्य बिठाना था (राव, 1963)। इसलिए, सरदार पटेल ने देश की एकता को केवल एक अमूर्त आदर्श रूप में नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा, सार्वजनिक आदेश बनाए रखने और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावहारिक जरूरत के रूप में देखा।

पटेल के राजनीतिक विचारों का ऐतिहासिक संदर्भ :-

सरदार वल्लभभाई पटेल की राजनीतिक सोच भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनों के व्यापक संदर्भ में बनी और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में उनकी भागीदारी से इस पर गहरा असर पड़ा। महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी के तौर पर सरदार पटेल जन-आंदोलन, अहिंसक विरोध और जन-सेवा के गांधीवादी सिद्धांतों से व्यापक तौर पर प्रभावित थे। 1918 के 'खेड़ा सत्याग्रह', 1928 के 'बारदोली सत्याग्रह' और 'सविनय-अवज्ञा' आंदोलन जैसे बड़े राष्ट्रवादी अभियानों में उनके नेतृत्व ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय

कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। उन्हें राजनीतिक संगठन तथा शासन-व्यवस्था का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया (चंद्रा, 2008; हार्डीमैन, 2007)। इन आंदोलनों ने न केवल भारत की आज़ादी के लिए पटेल की प्रतिबद्धता को मजबूत किया, बल्कि अनुशासित राजनीतिक कार्रवाई और सामूहिक राष्ट्रीय उद्देश्य में उनके विश्वास को भी मजबूत किया।

गांधीजी के साथ करीबी होने के बावजूद, पटेल का राजनीतिक नज़रिया गांधीवादी विचारधारा से काफी अलग था। जहाँ गांधीजी ने नैतिक सुधार, गाँवों की आत्मनिर्भरता और विकेंद्रीकृत शासन पर आधारित एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी, वहीं पटेल ने राजनीति के प्रति ज्यादा व्यावहारिक और संस्थागत नजरिया अपनाया। एक वकील के तौर पर उनकी ट्रेनिंग और प्रशासन में उनके अनुभव ने उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि राजनीतिक आजादी को केवल प्रभावी सरकारी संस्थाओं और मजबूत प्रशासनिक ढांचे के जरिए ही बनाए रखा जा सकता है (गुहा, 2007)। इसलिए, पटेल ने गांधीजी द्वारा बताए गए विकेंद्रीकृत शासन मॉडल के बजाय राज्य के अधिकार, प्रशासनिक-दक्षता और राजनीतिक स्थिरता पर ज्यादा जोर दिया

1947 के विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। बड़ी संख्या में लोगों विस्थापित होना पड़ा, जिससे भारतीय राज्य की सत्ता के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गईं। साथ ही सैकड़ों रियासतों की अनिश्चित संवैधानिक स्थिति ने देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया (मेनन, 1956)। इन घटनाओं ने पटेल के इस विश्वास को और मजबूत कर दिया था कि राष्ट्रीय एकता को आज़ादी का स्वाभाविक परिणाम नहीं माना जा सकता। बल्कि, इसे राजनीतिक एकीकरण और संस्थागत मजबूती के जरिए सक्रिय रूप से हासिल करना होगा। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि सांप्रदायिक विभाजन, क्षेत्रीयता की भावना और अलगाववादी प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक शासन और आर्थिक विकास, दोनों को कमजोर कर सकती हैं।

परिणामतः पटेल की राजनीतिक सोच राष्ट्रीय एकता, राज्य-निर्माण और संवैधानिक व्यवस्था पर जोर देने की दिशा में विकसित हुई। वे भारत की संप्रभुता को बनाए रखने और लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक सत्ता को मजबूत करने और प्रभावी संस्थाएँ बनाने को जरूरी मानते थे। रियासतों को एक करने, केंद्र सरकार को मजबूत करने और एक पेशेवर सिविल सेवा स्थापित करने के उनके प्रयासों में राष्ट्र-निर्माण की एक व्यापक सोच झलकती थी, जिसमें एकता, शासन और विकास आपस में गहराई से जुड़े हुए थे (ऑस्टिन, 1966; राव, 1963)। इस प्रकार, राष्ट्रवादी आंदोलन, विभाजन और आजादी के बाद राज्य के गठन के ऐतिहासिक अनुभवों ने राष्ट्रीय एकता

और एक मजबूत भारतीय राज्य के प्रति पटेल की अटूट प्रतिबद्धता को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाई।

पटेल के राजनीतिक विचारों में राष्ट्रीय एकता :-

सरदार वल्लभभाई पटेल की राजनीतिक सोच और राष्ट्र-निर्माण की दृष्टिकोण में राष्ट्रीय एकता के विचार का अहम स्थान था। पटेल आजाद भारत में राजनीतिक स्थिरता, प्रजातांत्रिक शासन और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए देश की एकता को महत्वपूर्ण आधार मानते थे। हालाँकि, एकता के उनके विचार का मतलब सांस्कृतिक एकरूपता या विविधता को दबाना नहीं था। बल्कि, पटेल ने एकता को भारत के अलग-अलग भाषाई, धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय समुदायों की एक सामान्य संवैधानिक और राजनीतिक ढांचे के अंदर एक साथ रहने की क्षमता के रूप में देखा (गुहा, 2007)। उनके विचार से भारत की ताकत एकरूपता में नहीं, बल्कि राजनीतिक जुड़ाव की साझी भावना के तहत विविधता के सफल एकीकरण में निहित थी।

सरदार पटेल हमेशा कहते रहे कि भारत का अलग-अलग तरह के लोगों वाला स्वभाव राजनीतिक बंटवारे का कारण नहीं बनना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र को किसी खास जातीय, भाषाई या धार्मिक पहचान से बंधे समुदाय के बजाय, साझा संवैधानिक सिद्धांतों, सामूहिक हितों और संप्रभु राज्य के प्रति निष्ठा से जुड़े एक राजनीतिक समुदाय के रूप में देखा (पटेल, 1972)। परिणामतः उनका इस बात पर जोर था कि क्षेत्रीय, सांप्रदायिक और वर्गीय निष्ठाओं को व्यापक राष्ट्रीय हित के अधीन रहना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी यह प्रतिबद्धता इस विश्वास को दर्शाती थी कि स्वतंत्र भारत का अस्तित्व और उसकी प्रगति, स्थानीय विभाजनों से ऊपर उठने में सक्षम एक एकीकृत राजनीतिक चेतना के विकास पर निर्भर करती थी। पटेल की राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को तीन परस्पर आपस में जुड़े पहलुओं के माध्यम से समझा जा सकता है: 1. क्षेत्रीय एकता 2. राजनीतिक एकता और 3.प्रशासनिक एकता।

1.क्षेत्रीय एकता : क्षेत्रीय एकता पटेल की राजनीतिक विचारधारा का एक बुनियादी अवयव थी। उनका मानना था कि राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत का क्षेत्रीय एकीकरण आवश्यक था। आजादी के समय 560 से ज्यादा रियासतों का अस्तित्व एक एकजुट राष्ट्र-राज्य बनाने की राह में एक बड़ी चुनौती थी। पटेल को डर था कि राजनीतिक बंटवारे से अलगाववादी सोच को बढ़ावा मिल सकता है, केंद्र सरकार की ताकत कम हो सकती है । जिसके कारण भारत बाहरी हस्तक्षेप का शिकार हो सकता है (मेनन, 1956)। परिणामतः रियासतों का विलय

उनके राष्ट्र-निर्माण के काम का एक अहम हिस्सा बन गया। कूटनीति, बातचीत और रणनीतिक सूझबूझ के जरिए, पटेल ने एक ऐसा राजनीतिक ढांचा बनाने की कोशिश की जो भौगोलिक रूप से एकजुट हो और एक आधुनिक संप्रभु राज्य के तौर पर काम कर सके (यादव, 2019)।

2. राजनीतिक एकता : पटेल के लिए, राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए केवल भौगोलिक एकीकरण ही काफी नहीं था। राजनीतिक एकता के लिए संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आधारित एक साझा नागरिक पहचान का विकास आवश्यक था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आजाद भारत में नागरिकता को संकीर्ण क्षेत्रीय, धार्मिक या सांप्रदायिक जुड़ावों से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की सामूहिक भावना को बढ़ावा देना चाहिए (ऑस्टिन, 1966)। पटेल संविधान को एक ऐसे जोड़ने वाले साधन के रूप में देखते थे जो विविध आबादी को एक साझा राजनीतिक व्यवस्था में बांध सके। एक मजबूत केंद्रीय सरकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस चिंता को दर्शाती थी कि अत्यधिक क्षेत्रवाद या सांप्रदायिक राजनीति लोकतांत्रिक स्थिरता को कमजोर कर सकती है और देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए, पटेल की समझ के अनुसार, राजनीतिक एकता संवैधानिक शासन, लोकतांत्रिक मानदंडों और राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकार के प्रति निष्ठा पर निर्भर करती थी।

3. प्रशासनिक एकता : सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता की सोच का तीसरा और अहम पहलू प्रशासनिक एकता था। पटेल का मानना था कि इतने बड़े और विविधता वाले देश में राजनीतिक एकजुटता बनाए रखने के लिए प्रभावी शासन और कुशल प्रशासन बहुत आवश्यक है। उनका तर्क था कि सरकारी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए मजबूत संस्थाओं के साथ-साथ एक पेशेवर सिविल सेवक की जरूरत है (राव, 1963)। अखिल भारतीय सेवाओं का पुरजोर समर्थन करना उनकी इसी सोच को दर्शाता है। पटेल सिविल सेवाओं को प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और देश के अलग-अलग हिस्सों को एक साझा राष्ट्रीय ढांचे से जोड़ने का एक अहम जरिया मानते थे (सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 1967)। योग्यता-आधारित प्रशासन और संस्थागत अनुशासन को बढ़ावा देकर, उन्होंने एक ऐसा शासन ढांचा बनाने की कोशिश की, जो क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता को मज़बूत कर सके।

उपरोक्त तीनों पहलुओं को एक साथ देखने पर पता चलता है कि पटेल की राष्ट्रीय एकता की सोच केवल भौगोलिक एकीकरण तक ही सीमित नहीं थी। बल्कि, इसमें संवैधानिक शासन, प्रभावी संस्थाओं और भारतीय राष्ट्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित

एक स्थिर राजनीतिक समुदाय का निर्माण भी शामिल था। इस प्रकार एकता के बारे में उनकी सोच औपनिवेशिक शासन के बाद राज्य के गठन और राष्ट्र-निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा पेश करती थी।

रियासतों का एकीकरण :-

आजादी के बाद भारत में राष्ट्र-राज्य बनाने की प्रक्रिया में सरदार वल्लभभाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना था। अगस्त 1947 में आजादी के समय, ब्रिटिश भारत में न केवल सीधे तौर पर शासित प्रांत थे । बल्कि सभी 560 देसी रियासतों को ब्रिटिश सर्वोच्चता के तहत अलग-अलग स्तरों पर स्वायत्तता मिली हुई थी। ब्रिटिश शासन खत्म होने के साथ ही ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं थीं। इससे राजनीतिक रूप से देश के कई टुकड़ों में बंटने का खतरा पैदा हो गया। जिससे नए आजाद भारत की क्षेत्रीय अखंडता और स्थिरता पर संकट मंडराने लगा (मेनन, 1956)। उपमहाद्वीप में कई संप्रभु सत्ताओं के उभरने की संभावना ने एकजुट भारतीय राज्य के निर्माण के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की।

उप-प्रधानमंत्री और गृह-मंत्री होने के नाते पटेल ने इस चुनौती से निपटने की मुख्य जिम्मेदारी संभाली। स्टेट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वप्पला पंगुन्नी मेनन के साथ मिलकर पटेल ने एक व्यापक रणनीति बनाई, जिसमें कूटनीतिक बातचीत, राजनीतिक मोल-भाव और जरूरत पड़ने पर सीमित दबाव डालने वाले उपाय शामिल थे (मेनन, 1956)। इस रणनीति का मुख्य औजार विलय-पत्र था, जिसके माध्यम से शासक कुछ आंतरिक अधिकार अपने पास रखते हुए रक्षा, विदेश मामलों और संचार का नियंत्रण भारत सरकार को सौंपने के लिए सहमत हुए। पटेल की व्यावहारिक नेतृत्व और मेनन की प्रशासनिक विशेषज्ञता के मेल से ज्यादातर रियासती शासकों को बहुत कम समय में भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया।

सरदार पटेल का एकीकरण के प्रति नजरिया राष्ट्रीय एकता को एक राजनीतिक और क्षेत्रीय जरूरत मानने की उनकी व्यापक सोच को दर्शाता था। वे समझते थे कि आजाद या आंशिक रूप से आजाद रियासतों का अस्तित्व भारतीय संघ की संप्रभुता को कमजोर कर सकता है, क्षेत्रीय बंटवारे को बढ़ावा दे सकता है और विदेशी दखल के लिए मौके पैदा कर सकता है (गुहा, 2007)। इसलिए, वे राष्ट्र-राज्य को मजबूत करने के लिए राजनीतिक एकीकरण को एक आवश्यक शर्त मानते थे। उनकी रणनीति में लचीलापन

और व्यावहारिकता थी; उन्होंने सुलह-स्पष्टता वाली बातचीत और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के मजबूत संकल्प के बीच संतुलन बनाए रखा।

जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर के मामले चुनौतीपूर्ण थे। जूनागढ़ में, जहाँ ज्यादातर हिंदू आबादी थी, वहाँ के मुस्लिम शासक ने भारत के पास होने के बावजूद पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। पटेल ने कूटनीतिक दबाव और जन-आंदोलन के जरिए इसका जवाब दिया और आखिरकार राज्य को भारत में शामिल कराया (चंद्रा, 2008)। हैदराबाद ने और भी बड़ी चुनौती पेश की, क्योंकि वह आकार में बड़ा था, रणनीतिक रूप से अहम जगह पर था और वहाँ का निजाम भारतीय संघ में शामिल होने को तैयार नहीं था। जब लंबी बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हो पाया, तो भारत सरकार ने सितंबर 1948 में "ऑपरेशन पोलो" शुरू किया, जिसके बाद हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हो पाया (मेनन, 1956)। हालांकि, जम्मू-कश्मीर का मामला भू-राजनीतिक जटिलताओं से भरा था, फिर भी पटेल ने हमेशा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने पर जोर दिया।

इन मामलों को संभालने के तरीके से पटेल की राजनीतिक सोच का यथार्थवादी नजरिया स्पष्ट झलकता है। वे समझते थे कि अलगाववादी आकांक्षाओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने से भारतीय राज्य की सत्ता कमजोर हो सकती है और देश के और टुकड़े भी हो सकते हैं। साथ ही, वे यह भी जानते थे कि बिना सोचे-समझे बल प्रयोग करने से नए आजाद हुए देश की लोकतांत्रिक वैधता को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए, राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को पाने के लिए उनकी नीतियों में समझाने-बुझाने, संवैधानिक तरीकों और राज्य की सत्ता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई (यादव, 2019)।

रियासतों के सफल विलय ने दक्षिण-एशिया के राजनीतिक भूगोल को पूरी तरह से बदल कर आधुनिक भारतीय राष्ट्र-राज्य की नींव रखी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसने पटेल के इस दृढ़ विश्वास को साबित किया कि राष्ट्रीय एकता के लिए निर्णायक नेतृत्व के साथ-साथ क्षेत्रीय संप्रभुता के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। विलय की प्रक्रिया के जरिए, पटेल ने राजनीतिक रूप से बंटे हुए देश को एक एकजुट करके एक संघीय ढाँचे में बदल दिया। इस तरह भारत की आजादी के बाद के राष्ट्र-निर्माण के काम के अहम स्तंभों में से एक की नींव रखी गई । (ऑस्टिन, 1966)। उनकी यह उपलब्धि आधुनिक इतिहास में शांतिपूर्ण राजनीतिक एकीकरण के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक है और सरदार पटेल की राजनीतिक विरासत के मूल्यांकन में आज भी एक अहम स्थान रखती है।

संघवाद और राष्ट्रीय एकीकरण :-

राष्ट्रीय एकता के प्रति सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिबद्धता ने संघवाद और स्वतंत्र भारत के संवैधानिक ढांचे के बारे में उनकी समझ को गहराई से प्रभावित किया। हालांकि पटेल क्षेत्रीय-विविधता और प्रांतीय-स्वायत्तता के महत्व को समझते थे। हालांकि, उनका मानना था कि राष्ट्रीय अखंडता और राजनीतिक स्थिरता की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के पास पर्याप्त अधिकार होने चाहिए। संघवाद पर उनके विचार स्वतंत्रता के समय की उथल-पुथल भरी परिस्थितियों से उपजे थे, जिनमें विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा और रियासतों को एक एकीकृत राजनीतिक ढांचे में शामिल करने की चुनौती शामिल थी (ऑस्टिन, 1966)। इन अनुभवों ने उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया कि एक कमजोर केंद्र नए स्वतंत्र देश के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है और राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है।

संविधान सभा की चर्चाओं के दौरान, पटेल ने हमेशा एक ऐसी संघीय व्यवस्था की वकालत की जिसमें केंद्र सरकार मजबूत हो। उनकी सोच के पीछे सांप्रदायिक बंटवारे, क्षेत्रीय अलगाववाद, प्रशासनिक बिखराव और बाहरी सुरक्षा खतरों जैसी चिंताएं थीं (राव, 1963)। पटेल का तर्क था कि भारत को एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत है जो क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बना सके। इसलिए, उन्होंने ऐसे संवैधानिक प्रावधानों का समर्थन किया जो केंद्र सरकार को काफी अधिकार देते थे, साथ ही देश की संघीय व्यवस्था की प्रकृति को भी बनाए रखते थे।

संघवाद के बारे में पटेल की सोच पारंपरिक संघीय मॉडलों से अलग थी, जिसमें बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण और अधिकार के बंटवारे पर जोर था। इसके बजाय, उन्होंने सहकारी संघवाद के एक ऐसे स्वरूप की कल्पना की थी जिसमें राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही वे एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचे से मजबूती से भी मजबूती से जुड़े रहें । (ऑस्टिन, 1966)। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य भारतीय संघ की संप्रभुता और अधिकार से समझौता किए बिना क्षेत्रीय-पहचानों को फलने-फूलने का मौका देकर विविधता और एकता में तालमेल बिठाना था।

सरदार पटेल के संघीय दृष्टिकोण के पीछे यह सोच थी कि एकता और विविधता एक-दूसरे के विरोधी सिद्धांत नहीं, अपितु लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के पूरक आधार हैं। उनका मानना था कि एक मजबूत संवैधानिक ढांचा भारत की विशाल सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को समाहित कर सकता है और साथ ही राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी राजनीतिक एकजुटता को भी बनाए रख सकता है। इस लिहाज से, संघवाद के

बारे में पटेल की समझ राष्ट्रीय एकता और राज्य-निर्माण के उनके व्यापक दृष्टिकोण का एक अहम हिस्सा थी।

सरदार पटेल और सिविल सेवाएँ :-

आधुनिक भारत में सरदार पटेल के सबसे अहम योगदानों में से एक था-'अखिल भारतीय सेवाओं' का पूरजोर समर्थन करना । वे इसे राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक स्थिरता के लिए एक जरूरी माध्यम मानते थे। इनका मानना था कि राजनीतिक एकता बनाए रखने और राज्य के कामकाज को ठीक से चलाने के लिए एक निष्पक्ष, पेशेवर और योग्यता-आधारित नौकरशाही बहुत जरूरी है। उनकी नजर में, लोकतांत्रिक शासन तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि एक सक्षम प्रशासनिक तंत्र न हो, जो पूरे देश में नीतियों को लागू करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संवैधानिक नियमों का पालन कराने में समर्थ हो (राव, 1963)।

1947 में सिविल सेवकों को दिए अपने सर्वाधिक प्रचलित भाषण में पटेल ने सिविल सर्विस को भारत का "स्टील फ्रेम" बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औपनिवेशिक शासन से आजादी की ओर बढ़ने के दौरान निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने में इनकी भूमिका बहुत अहम थी (सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 1967)। ऐसे समय में जब नए स्वतंत्र हुए देश के सामने भारी राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ थीं, उनका मानना था कि एक पेशेवर नौकरशाही ही शासन और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अधिक मजबूती प्रदान करेगी।

पटेल ने उन प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया जो राजनीतिक या वैचारिक कारणों से सिविल सेवाओं को कमजोर करता। इसके बजाय, उन्होंने योग्यता-आधारित भर्ती, प्रशासनिक निष्पक्षता और सरकारी अधिकारियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा की वकालत की। उनका तर्क था कि सिविल सेवकों को पक्षपाती दबावों से दूर रहना चाहिए और ईमानदारी, निष्पक्षता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए (सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 1967)। उनका मानना था कि प्रशासनिक दक्षता और सरकारी संस्थानों में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए इस तरह की सुरक्षा ज़रूरी थी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) को बनाने और मजबूत करने के लिए उनका समर्थन, संस्थाएँ बनाने और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता था। पटेल इन सेवाओं को ऐसे माध्यम के तौर पर देखते थे जिनसे अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों को एक साझा राष्ट्रीय ढाँचे से जोड़ा जा सके।

एक जैसे प्रशासनिक मानक अपनाकर और जन-सेवा की साझा भावना को बढ़ावा देकर, अखिल भारतीय सेवाओं ने भारतीय राज्य को मजबूत करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में योगदान दिया (गुहा, 2007)।

राजनीतिक यथार्थवाद और शासन कला :-

पटेल की राजनीतिक सोच की एक खास बात यह थी कि वे राजनीतिक यथार्थवाद और व्यावहारिक शासन-कला पर बहुत जोर देते थे। वे उन तरीकों के उलट जो अमूर्त आदर्शों या वैचारिक शुद्धता को प्राथमिकता देते थे, पटेल ने ठोस राजनीतिक चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने की जरूरत पर बल दिया। उनकी राजनीतिक सोच एक वकील, प्रशासक, राष्ट्रवादी नेता और राजनेता के तौर पर मिले अनुभवों से बनी थी; इन सभी अनुभवों ने इस बात पर उनके विश्वास को और मजबूत किया कि असरदार शासन के लिए सिद्धांतों और व्यावहारिक बातों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना जरूरी है (यादव, 2019)।

राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और राज्य के अधिकार से जुड़े मामलों में पटेल की यथार्थवादी सोच सबसे स्पष्ट दिखाई देती थी। वे समझते थे कि नए स्वतंत्र हुए देशों को अक्सर अंदरूनी और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनसे उनकी स्थिरता और संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए, उनका मानना था कि लोकतांत्रिक शासन के लिए एक सक्षम और अधिकार-संपन्न राज्य-तंत्र की जरूरत होती है, जो व्यवस्था बनाए रख सके और राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके (मेनन, 1956)। पटेल के लिए, राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार तभी फल-फूल सकते थे जब उन मजबूत संस्थाओं और प्रभावी शासन का समर्थन मिले।

इस व्यावहारिक झुकाव ने उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन के अपने कुछ समकालीनों से अलग खड़ा किया। हालाँकि, वे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित थे । लेकिन, पटेल ने इस विचार को नकार दिया कि केवल आदर्शवादी सोच से ही राष्ट्रीय एकता या राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। इसके बजाय, उन्होंने नव-स्वतंत्र देश की चुनौतियों से निपटने के लिए नेतृत्व, संस्थागत क्षमता और प्रशासनिक दक्षता के महत्व पर जोर दिया। रियासतों के विलय के मामले में उनके काम करने के तरीके ने इस दृष्टिकोण को बखूबी दिखाया। उन्होंने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बातचीत, समझाने-बुझाने और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने जैसे सभी तरीकों को अपनाने की तत्परता दिखाई।

पटेल की यथार्थवादी सोच का मतलब तानाशाही नहीं था। बल्कि, यह उनके इस विश्वास को दिखाता था कि स्वतंत्रता, विविधता और लोकतांत्रिक शासन के लिए एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। उनके लिए, राष्ट्रीय एकता एक नैतिक आदर्श और रणनीतिक जरूरत, दोनों थी। एकता बनाए रखना न सिर्फ राष्ट्र-राज्य के अस्तित्व के लिए, बल्कि लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने और सामाजिक-आर्थिक तरक्की के लिए भी जरूरी था।

समकालीन प्रासंगिकता :-

समकालीन भारत में सरदार वल्लभभाई पटेल के राजनीतिक विचार काफी महत्व रखते हैं। संघवाद, क्षेत्रीय स्वायत्तता, आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और राष्ट्रीय पहचान जैसे मुद्दों पर होने वाली चर्चाओं में, आज की शासन-व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए अक्सर पटेल की विरासत से मार्गदर्शन लिया जाता है। उनके विचार इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि, जिन मुद्दों ने उनकी राजनीतिक सोच को आकार दिया था- जैसे विविधता, एकीकरण, संस्थागत क्षमता और राष्ट्रीय एकता- वे आज भी भारतीय राजनीति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले, पटेल का संस्थागत मजबूती पर जोर विविधता को संभालने और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में प्रभावी शासन के स्थायी महत्व को चिह्नित करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मजबूत संस्थाएँ ज़रूरी हैं। उनका यह मानना आज भी प्रासंगिक है। खासकर, ऐसे दौर में जब प्रशासन और सुरक्षा से जुड़ी जटिल चुनौतियाँ मौजूद हैं (ऑस्टिन, 1966)। दूसरी बात, राष्ट्रीय एकता के बारे में पटेल की सोच एक ऐसी समावेशी ढांचा प्रस्तुत करती है जो एक साझा राजनीतिक समुदाय के भीतर सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को स्थान देता है। उनकी सोच यह दिखाती है कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक एकरूपता से नहीं बल्कि इसे साझा संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक नागरिकता के माध्यम से हासिल किया जा सकता है (गुहा, 2007)।

तीसरा, प्रशासनिक कामकाज में पेशेवर रवैये के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, निष्पक्ष और योग्यता-आधारित सार्वजनिक संस्थाओं के लगातार महत्व को रेखांकित करती है। ऐसे समय में जब नौकरशाही की जवाबदेही और संस्थागत स्वायत्तता सार्वजनिक बहस का विषय बनी हुई है तब प्रशासनिक तटस्थता के पक्ष में पटेल का तर्क लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था में सिविल सेवाओं की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

निष्कर्ष :-

आधुनिक भारत में राज्य के गठन और राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रियाओं को समझने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल की राजनीतिक सोच एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और व्यावहारिक आधार है। राष्ट्रीय एकता के बारे में उनकी सोच का दायरा बहुत व्यापक था। इसमें राजनीतिक स्थिरता, संवैधानिक शासन, प्रशासनिक दक्षता और संस्थागत मजबूती को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्य के सफल कामकाज से जोड़ा गया था। पटेल के लिए, राष्ट्रीय एकता केवल एक भौगोलिक या राजनीतिक लक्ष्य नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता की रक्षा, सामाजिक एकजुटता बनाए रखने और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अनिवार्य शर्त थी (ऑस्टिन, 1966)।

रियासतों को एक करने में पटेल की कोशिशें, एक मजबूत लेकिन संघीय संवैधानिक ढांचे की वकालत, और पेशेवर सिविल सेवाओं के लिए उनका अटूट समर्थन, राष्ट्र-निर्माण के प्रति उनके सुसंगत और व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इन पहलों के पीछे उनका दृढ़ विश्वास था कि एक विविधता-पूर्ण समाज तभी एकजुट रह सकता है जब प्रभावी संस्थाएं, संवैधानिक सुरक्षा-उपाय और राष्ट्रीय हित के प्रति साझा प्रतिबद्धता हो (मेनन, 1956; राव, 1963)। उनकी राजनीतिक विचारधारा ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राजनीतिक यथार्थवाद का सफलतापूर्वक मेल बिठाया।

पटेल की सोच की एक खास बात यह थी कि वे एकता और विविधता के बीच तालमेल बिठा सकते थे। भारत की भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता को राष्ट्र-निर्माण में बाधा मानने के बजाय, उन्होंने एक मजबूत संवैधानिक ढांचे के भीतर विविधता को जगह देने की कोशिश की, जिसमें समान नागरिकता और सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया गया था। इसलिए, राष्ट्रीय एकता के बारे में उनकी सोच क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकजुटता के बीच संतुलन बनाती थी, जो लोकतांत्रिक संघवाद और समावेशी राष्ट्रवाद के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है (गुहा, 2007)।

पटेल के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वैश्वीकरण, पहचान की राजनीति, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राजनीतिक भागीदारी के उभरते रूपों से बने युग में, राष्ट्र निर्माण के लिए पटेल का दृष्टिकोण एकता के साथ विविधता को संतुलित करने के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। उनका राजनीतिक विचार यह समझने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करता है कि कैसे मजबूत संस्थान, संवैधानिक शासन और समावेशी राष्ट्रवाद एक विविध लोकतांत्रिक समाज की स्थिरता और एकजुटता में योगदान दे सकते हैं। जैसे-जैसे भारत इक्कीसवीं सदी के अवसरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है, राष्ट्रीय एकता के बारे में पटेल का दृष्टिकोण राज्य की क्षमता, लोकतांत्रिक शासन और राष्ट्रीय एकीकरण के बीच संबंधों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

अंततः पटेल की विरासत न केवल भारत के क्षेत्रीय एकीकरण में निहित है, बल्कि भारतीय राज्य की बौद्धिक नींव में उनके स्थायी योगदान में भी है। उनकी राजनीतिक सोच यह दर्शाती है कि राष्ट्रीय एकता केवल राजनीतिक सत्ता से ही नहीं, बल्कि प्रभावी संस्थाओं, संवैधानिक मूल्यों और अपनत्व की साझा भावना को विकसित करने से बनी रहती है।=

संदर्भ:

1. *ऑस्टिन, जी; (1966); भारतीय संविधान: एक राष्ट्र की आधारशिला ; ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.*
2. *चंद्रा, बी. ; (2008); भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ; पेंगुइन बुक्स.*
3. *गुहा, आर. ; (2007); गांधी के बाद भारत: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का इतिहास ; हार्पर कॉलिन्स*
4. *हार्डीमैन, डी. ; (2007); गांधी अपने समय में और हमारे समय में ; उनके विचारों की वैश्विक विरासत ; कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस*
5. *मेनन, वी.पी. ; (1956); भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी ; ओरिएंट लॉन्गमैन*
6. *सूचना और प्रसारण मंत्रालय ; (1967); एक संयुक्त भारत के लिए: सरदार पटेल के भाषण, 1945–1950 ; प्रकाशन विभाग, भारत सरकार*
7. *पटेल, आर. (एड.). ; (1972); सरदार पटेल का पत्र-व्यवहार ;1945–50 (वॉल्यूम 1–10) ; नवजीवन पब्लिशिंग हाउस*
8. *राव, बी.एस. ; (1963); भारत के संविधान का निर्माण ; भारतीय लोक प्रशासन संस्थान*
9. *यादव, बी.डी. ; (2019); सरदार पटेल और आधुनिक भारत का निर्माण; रूटलेज*